

PROMPT CORRECTIVE ACTION FRAMEWORK

The Reserve Bank of India (RBI) removed the Central Bank of India from its Prompt Corrective Action Framework (PCAF).



Image Credits: Livemint

Key Points

About PCA Framework

- It was introduced in 2002 as a structured early intervention mechanism along the lines of the US Federal Deposit Insurance Corporation's PCA framework.
- Under the PCA framework, Banks that show weak financial parameters are put under watch by the Reserve Bank of India.
- Basically, It helps alert the regulator as well as investors and depositors if a bank is heading for trouble i.e. Non-Performing Assets (NPAs).
- The idea behind PCA is to proactively solve problems before they attain crisis proportions.
- It acts as a tool for effective market discipline.
- It is applicable to all banks operating in India, including foreign banks operating through branches or subsidiaries based on breach of risk thresholds of identified indicators.
- **Key Monitoring Areas: Capital, asset quality and leverage**
- The RBI has specified certain regulatory trigger points, as a part of the PCA Framework, in terms of three parameters, i.e.
 - Capital to Risk-Weighted Assets Ratio (CRAR)
 - net Non-Performing Assets (NPA)
 - Return on Assets (RoA)

What curbs do Banks face under the PCA?

- Banks move from **risk thresholds 1 through 3** with increasing restrictions if they are unable to arrest deterioration.
- First, Banks face curbs on dividend distribution/remittance of profits. For foreign banks, promoters are to bring in capital.
- In the **second category**, Banks additionally face curbs on branch expansion.
- In the **final category**, the Bank additionally faces restrictions on capital expenditure with some exemptions.
- Further, the RBI also has the option of discretionary actions across strategy, governance, credit risk, market risk and human resources.

Revised PCA Framework:

- **Applicable From** January 1, 2022.
- The revised notification has **removed return on assets** as an indicator to qualify for PCA.
- **Difference between 2017 & 2021 PCA Framework:** The 2017 notification of the PCA framework applied to scheduled commercial banks but excluded Regional Rural Banks from its purview, while the **2021 version excludes Small Finance Banks and Payment Banks** too.

शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया को अपने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क (PCAF) से हटा दिया।



छवि क्रेडिट: लाइवमिंट

प्रमुख बिंदु

पीसीए फ्रेमवर्क

- इसे **2002 में** यूएस फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के पीसीए ढांचे की तर्ज पर एक संरचित प्रारंभिक हस्तक्षेप तंत्र के रूप में पेश किया गया था।
- पीसीए ढांचे के तहत, कमजोर वित्तीय मानकों को दर्शाने वाले बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निगरानी में रखा जाता है।
- **मूल रूप से, यह नियामक के साथ-साथ निवेशकों और जमाकर्तियों को सतर्क** करने में मदद करता है यदि कोई बैंक परेशानी की ओर बढ़ रहा है यानी नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA)
- पीसीए के पीछे का विचार संकट का रूप प्राप्त करने से पहले समस्याओं को सक्रिय रूप से हल करना है।
- यह प्रभावी **बाजार अनुशासन** के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है।
- यह पहचान किए गए संकेतकों की जोखिम सीमा के उल्लंघन के आधार पर शाखाओं या सहायक कंपनियों के माध्यम से परिचालन करने वाले विदेशी बैंकों सहित भारत में परिचालन करने वाले सभी बैंकों पर लागू होता है।
- प्रमुख निगरानी क्षेत्र: पूंजी, परिसंपत्ति गुणवत्ता और उत्तोलन

PCA के तहत बैंकों को किन प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है?

- बैंक बढ़ते प्रतिबंधों के साथ **जोखिम सीमा 1 से 3** तक बढ़ते हैं यदि वे गिरावट को रोकने में असमर्थ हैं।
- सबसे **पहले**, बैंकों को लाभांश वितरण/मुनाफे के प्रेषण पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है। विदेशी बैंकों के लिए प्रमोटर्स को पूंजी लानी होती है।
- **दूसरी श्रेणी में**, बैंकों को शाखा विस्तार पर भी रोक का सामना करना पड़ता है।
- **अंतिम श्रेणी में**, बैंक को कुछ छूटों के साथ पूंजीगत व्यय पर भी प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है।
- इसके अलावा, आरबीआई के पास रणनीति, शासन, क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और मानव संसाधनों में विवेकाधीन कार्यों का विकल्प भी है।

संशोधित पीसीए फ्रेमवर्क:

- 1 जनवरी 2022 से लागू
- संशोधित अधिसूचना ने पीसीए के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए एक संकेतक के रूप में संपत्ति पर **रिटर्न को हटा दिया है।**
- **2017 और 2021 पीसीए फ्रेमवर्क के बीच अंतर:**
पीसीए फ्रेमवर्क की 2017 की अधिसूचना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होती है, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इसके दायरे से बाहर कर दिया जाता है, **जबकि 2021 संस्करण में लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक भी शामिल नहीं हैं।**